

न्यू झीलैंड में आपके पद की पुष्टि

आपको शरणार्थी पद शाखा (आरएसबी) [Refugee Status Branch (RSB)] से एक पत्र प्राप्त होगा, जिसमें इस बात की पुष्टि की जाएगी कि आपने न्यू झीलैंड में शरणार्थी पद और संरक्षण के लिए दावा किया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पत्र को अपने पास रखें और अन्य सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदाताओं, तथा सेवा प्रदाताओं के पास जाते समय इसे अपने साथ ले जाएँ।

यदि आवश्यक हो, तो आरएसबी (RSB) इस प्रपत्र में सूचीबद्ध सरकारी एजेंसियों के साथ आपके शरणार्थी पद की पुष्टि स्वयं कर सकती है। ये एजेंसियाँ आरएसबी (RSB) को (09) 928 2236 पर कॉल कर सकती हैं, या RSB@mbie.govt.nz पर ईमेल भेज सकती हैं।

दुभाषिया सेवाएँ

EZISPEAK

Ezispak सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वप्रमुख टेलीफोन दुभाषिया सेवा प्रदाता है। Ezispak प्रत्येक दिन 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन और 180 से भी अधिक भाषाओं में टेलीफोन दुभाषिया सेवाएँ प्रदान करती है। सरकारी एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ बात करते समय आप Ezispak का उपयोग कर सकते/सकती हैं, जिनमें आब्रजन (Immigration), स्वास्थ्य (Health), अंतर्देशीय राजस्व (Inland Revenue), आंतरिक मामले (Internal Affairs), शिक्षा (Education), कार्य और आय (Work and Income), करियर सेवाएँ (Career Services) और पुलिस (Police) शामिल हैं।

Ezispak का उपयोग करने के लिए अपनी आवश्यकता की सरकारी एजेंसी के पास जाएँ या उन्हें टेलीफोन करें और "Ezispak telephone interpreting services" तथा अपनी आवश्यकता की भाषा के लिए निवेदन करें। Ezispak नए निःशुल्क नंबर 0800 854 737 और अपनी वेबसाइट <https://ezispak.nz> के माध्यम से उपलब्ध है।

Ezispak सरकारी अनुबंध के अतिरिक्त सामुदायिक और निजी क्षेत्र को भी दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध कराता है। किसी एनजीओ (NGO) या गैर-लाभ (not-for-profit) संस्थान से संपर्क या मुलाकात करते समय आप Ezispak या किसी अन्य टेलीफोन दुभाषिया सेवा के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।

पहचान पत्र

सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आपको एक पहचान पत्र (आईडी) की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य रूप से अधिकांश संगठनों के समक्ष आपको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट (passport) दिखाना पर्याप्त होता है।

पहचान प्रमाण पत्र (Certificate of Identity)

यदि आपके पास पासपोर्ट (passport) नहीं है, तो आपको आब्रजन न्यू झीलैंड (आईएनज़ेड) [Immigration New Zealand (INZ)] की किसी शाखा से एक पहचान प्रमाण पत्र (सीओआई) [Certificate of Identity (COI)] प्राप्त करना होगा। यदि आपने वीजा के लिए आवेदन किया है और आपके आवेदन को अनुमोदन प्राप्त हो गया है, तो आपके लिए एक सीओआई (COI) जारी किया जाएगा। सीओआई (COI) में आपकी तस्वीर और नाम तथा जन्मतिथि जैसे आपके जीवन से संबंधित विवरण शामिल होंगे। आईएनज़ेड (INZ) सीओआई (COI) में ही वीजा भी जारी कर सकता है।

सीओआई को कार्य और आय (Work and Income) तथा बैंकों जैसी अन्य एजेंसियाँ भी पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगी। और अधिक जानकारी के लिए कृपया आईएनज़ेड (INZ) की वेबसाइट पर जाएँ: www.immigration.govt.nz

वीजा

अपने दावे की स्थिति की प्रतीक्षा करते समय आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त आगतुक (visitor), कार्य (work), छात्र (student) या सीमित (limited) वीजा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए कृपया E8.10 [Temporary visas for refugee or protection status claimants](http://Temporary.visas.for.refugee.or.protection.status.claimants) पर आब्रजन निर्देश देखें।

आवासीय पता

अधिकांश सरकारी एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं (जैसे बैंक, बिजली और इंटरनेट कंपनियों) को आपके आवासीय पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपके आवासीय पते का यह प्रमाण आपको संबोधित करने वाला एक आधिकारिक पत्र हो सकता है — उदाहरण के लिए, आपके दावे की पुष्टि करने वाला आरएसबी (RSB) से प्राप्त हुआ पत्र। यदि आपके पास अपना सही पता दर्शाने वाला कोई आधिकारिक पत्र नहीं है, तो आप आरएसबी (RSB) के समक्ष ऐसा एक पत्र उपलब्ध कराने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।

निवास

यदि आपको आवास की खोज करने की आवश्यकता है, तो कई स्थानीय समाचार पत्र किराए के आवासों के विज्ञापन देते हैं — "फ्लैट" या साझाघर में एक कमरा। Trademe की वेबसाइट (www.trademe.co.nz) पर किराए के आवास भी दर्शाए जाते हैं। आपके स्थानीय सुपरमार्केट, पुस्तकालय या सामुदायिक केंद्र में कमरे या फ्लैट के विज्ञापन दर्शाने वाला एक नोटिसबोर्ड हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंटों और किराए के आवास केंद्रों से आपको अपने लिए आवास की खोज करने में सहायता मिल सकती है। वे इस सेवा के लिए शुल्क लेंगे। यदि आपको अपने लिए आवास की खोज करने में मुश्किल हो रही है, तो कार्य और आय (Work and Income) से संपर्क करें: www.workandincome.govt.nz

बैंक

आपको कर प्रयोजनों और पारिश्रमिक तथा आय प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होगी। अधिकांश बैंकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:

- पहचान के दो प्रारूप, जैसे पासपोर्ट (passport) और ड्राइवर्स लाइसेंस (driver's licence) या जन्म प्रमाण पत्र, और
- आपके आवासीय पते का प्रमाण, जैसे किसी सरकारी एजेंसी या सेवा प्रदाता (उदाहरण के लिए, बिजली कंपनी) से प्राप्त एक पत्र।

खाता खोलने के लिए अपनी स्थानीय बैंक या अपने कार्यक्षेत्र के निकट स्थित किसी बैंक में जाएँ।

अंतर्देशीय राजस्व (आईआर) [Inland Revenue (IR)]

न्यू झीलैंड में काम करने के लिए या कार्य और आय (Work and Income) से समर्थन प्राप्त करने के लिए आपको अंतर्देशीय राजस्व (आईआर) [Inland Revenue (IR)] से एक कर सँख्या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आईआर सँख्या (IR number) प्राप्त करने के लिए IR595 फॉर्म भरा करें। इस फॉर्म की एक प्रति प्राप्त करने के लिए नंबर 0800 257 773 पर टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करें या इसे [यहाँ](http://www.ird.govt.nz) से डाउनलोड करें।

IR595 फॉर्म को अपने निकटतम स्थित आईआर (IR) कार्यालय में अपने पासपोर्ट (passport) और आवासीय पते के प्रमाण के साथ ले जाएँ। आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा और आपको एक कर सँख्या (tax number) दी जाएगी।

वेबसाइट: www.ird.govt.nz
निःशुल्क फोन: 0800 377 774

रोज़गार

यदि आपके शरणार्थी और संरक्षण दावे की प्रसंस्करण अवधि में आपको कार्य (work) वीजा दिया जाता है, तो आप न्यू झीलैंड में काम करने के लिए सक्षम होंगे/होगी। आपको समाचार पत्रों और ऑनलाइन जैसे कई स्रोतों के माध्यम से नौकरियों के विज्ञापन मिल सकते हैं।

वेबसाइट

अधिकांश नौकरियों के विज्ञापन ऑनलाइन दिए जाते हैं और ऐसी कई उपयोगी वेबसाइटें उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप क्षेत्र, प्रकार और अपनी कुशलताओं व योग्यताओं के अनुसार नौकरियाँ खोज सकते/सकती हैं। कुछ उपयोगी वेबसाइटें हैं: www.seek.co.nz; www.trademejobs.co.nz

समाचार पत्र

समाचार पत्रों में नौकरियों को सामान्यतः "रिक्त पद" ("situations vacant") कहा जाता है और इन्हें समाचार पत्रों के वर्गीकृत विज्ञापन अनुभाग (classified advertising section) में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे दि न्यू झीलैंड हेराल्ड (The New Zealand Herald) — www.nzherald.co.nz

सरकारी एजेंसियाँ

करियर सेवाएँ (Career Services) तथा कार्य और आय (Work and Income) नौकरी खोजने में आपकी सहायता करने के लिए व्यावहारिक सलाह दे सकते हैं, जैसे कार्यशालाएँ (workshops), प्रशिक्षण के अवसर, नौकरियों की सूचियाँ, काम की खोज करने के लिए कुशलताएँ और बायोडेटा (CV) बनाना। इन सेवाओं की वेबसाइट पर जाएँ:

करियर सेवाएँ (Career Services): www.careers.govt.nz

कार्य और आय (Work and Income): www.workandincome.govt.nz

वित्तीय सहायता

यदि आपके पास एक वैध और वर्तमान वीजा है, तो आपके शरणार्थी और संरक्षण दावे के प्रसंस्करण की अवधि के दौरान आप कार्य और आय (Work and Income) से आपातकालीन लाभ (Emergency Benefit) प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

आपको अपने निवास स्थान की निकटतम स्थित शाखा में एक मामला प्रबंधक (case manager) से मिलने के उद्देश्य से एपॉइंटमेंट लेने के लिए कार्य और आय (Work and Income) से संपर्क करना होगा।

और अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय कार्य और आय (Work and Income) कार्यालय में जाएँ, या उन्हें फोन करें: 0800 559 009, या उनकी वेबसाइट पर जाएँ: www.workandincome.govt.nz। यदि आप बहुत कम या बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते/पाती हैं, तो कार्य और आय (Work and Income) अन्य भाषाओं में जानकारी प्रदान कर सकता है:

> मंदारिन — 0800 661 001

> कैटोनीज़ — 0800 664 004

> हिंदी — 0800 993 003

> फारसी — 0800 996 006

> खमेर — 0800 994 004

> पंजाबी — 0800 995 005

शिक्षा

अंग्रेज़ी कक्षाएँ

आप अंग्रेज़ी भाषा की कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। तृतीयक संस्थानों (tertiary institutions), माध्यमिक विद्यालयों (secondary schools), घर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों/शिक्षिकाओं (home tutors) और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों (community education centres) जैसे कई संगठन अंग्रेज़ी भाषा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है।

यदि आपके शरणार्थी और संरक्षण दावे की प्रसंस्करण अवधि में आपको कार्य (work) वीज़ा दिया जाता है, तो आपको केवल द्वितीयक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी (English as a second language) पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए ही अनुमति दी जाएगी, किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए नहीं।

और अधिक जानकारी के लिए तृतीयक शिक्षा आयोग (The Tertiary Education Commission) की वेबसाइट www.tec.govt.nz देखें ('ESOL students' के लिए खोज करें) और/या अंग्रेज़ी भाषा सहभागी (English Language Partners) <https://englishlanguage.org.nz/> की वेबसाइट देखें।

प्राथमिक (primary) और माध्यमिक (secondary) विद्यालय

न्यूज़ीलैंड में 6 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है। सामान्य रूप से शरणार्थी बच्चों को छात्र (student) वीज़ा दिया जाएगा।

स्वास्थ्य

न्यूज़ीलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (public health system) छूट-प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल (subsidised health care) उपलब्ध कराती है। शरणार्थी इसके लिए पात्र होते हैं।

डॉक्टर से मुलाकात करने का शुल्क आपकी आयु, स्थान और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होता है। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।

छूट-प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल (subsidised health care) प्राप्त करने के लिए आपको आरएसबी (RSB) से प्राप्त पत्र को अपने साथ क्लिनिक या अस्पताल ले जाना चाहिए, जिसमें आपके द्वारा शरणार्थी पद और संरक्षण के लिए दावा जमा किए जाने की पुष्टि की गई हो।

यदि आवश्यकता हो, तो अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ (public health services) दुभाषिए की व्यवस्था करेंगी। आपको इनके साथ पहले से संपर्क करना होगा।

आपातकालीन (urgent) चिकित्सीय देखभाल

आपातकालीन स्थिति (emergency) में आपको अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस (ambulance) बुलाने के प्रयोजन से 111 पर टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करें, या फिर आप स्वयं ही अपने घर के सबसे निकट स्थित अस्पताल में जा सकते/सकती हैं।

समर्थन देने वाली एजेंसियाँ

ऐसी कई एजेंसियाँ उपस्थित हैं, जो शरणार्थियों के लिए सहायता सेवाएँ सुलभ कराती हैं।

शरणार्थी समर्थन न्यास (Asylum Seekers Support Trust)

सभी शरणार्थियों को आवास समर्थन, भोजन, वस्त्रादि, परिवहन और सलाह उपलब्ध कराता है।

वेबसाइट: <http://www.asst.org.nz/>

ईमेल: info@asst.org.nz

फोन: (09) 378 7434

न्यूज़ीलैंड शरणार्थी परिषद (Refugee Council of New Zealand)

शरणार्थियों को सलाह, जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने वाला संगठन।

ईमेल: info@rc.org.nz

वेबसाइट: <http://www.rc.org.nz/>

संबद्ध एओटीआरोआ (Belong Aotearoa)

समर्थन के लिए अन्य सामुदायिक समूहों और संगठनों को जानकारी, सलाह और रेफरल उपलब्ध कराता है।

वेबसाइट: <https://www.belong.org.nz/>

उत्तरजीवियों के रूप में शरणार्थी (Refugees As Survivors)

सलाह और शरीर चिकित्सा सहित निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण समर्थन उपलब्ध कराता है:

वेबसाइट: <http://www.rasnz.co.nz/>

ईमेल: admin@rasnz.co.nz

फोन: 0800 472 769 या 09 270 0870

सामुदायिक कानून (Community Law)

कानूनी समस्याएँ हल करने के लिए निःशुल्क आरंभिक कानूनी सलाह उपलब्ध कराता है।

वेबसाइट: <https://www.communitylaw.org.nz/>

नागरिक सलाह कार्यालय (Citizens Advice Bureau)

निःशुल्क जानकारी, सलाह और समर्थन उपलब्ध कराता है।

वेबसाइट: <http://www.cab.org.nz/>

न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस (New Zealand Red Cross)

न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस के पास शरणार्थियों और आश्रय की खोज करने वाले व्यक्तियों के लिए कई तरह की समर्थन सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ शरणार्थियों के लिए रोज़गार के मार्ग (Pathways to Employment) कार्यक्रम भी सुलभ है। वेबसाइट www.redcross.org.nz देखें।



NEW ZEALAND
IMMIGRATION

शरणार्थियों के लिए सेवाएँ

ऑकलैंड

इस प्रपत्र में न्यूज़ीलैंड में शरणार्थी या संरक्षित व्यक्ति का पद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों (जिन्हें "asylum seekers" के रूप में जाना जाता है) के लिए उपलब्ध सेवाओं और समर्थन के विषय में जानकारी उपलब्ध है।